



कार्यालय प्राचार्य, किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान (अग्रणी)
महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

Affiliated to Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.)
Email - kgcraigarh1958@gmail.com
www.kgcollegeraigarh.ac.in



सूचना

महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों को NSP के वेबसाइट में <https://scholarships.gov.in/> में OTR कराना आवश्यक है।

सत्र 2025-26 में आवेदन करने की तिथियों की जानकारी संलग्न है, अतः विद्यार्थी यथाशिघ्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के पूर्व ही अपना One Time Registration (OTR) करना सुनिश्चित करें।

नोट :- छात्रवृत्ति एवं OTR से संबंधित समस्याओं के लिए कम्प्यूटर कक्ष में संपर्क करें।

छात्रवृत्ति संबंधित सूचनाओं के लिए महाविद्यालय के वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें।

12/06/25
प्राचार्य

कि.शा.कला एवं विज्ञान महाविद्यालय
रायगढ़ (छ.ग.)

**कार्यालय आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-डी (भू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ0ग0)
☎ - 2263708, 2262558 Fax - 2262558**

Email Id - pmscstohc@gmail.com

क्रमांक / ऑ.ला.पो.मै.छा. / 215 / 2025-26 **1742** नवा रायपुर, दिनांक **19** / 05 / 2025

: : सूचना प्रकाशन : :

वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2025-26 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जा रही है :-

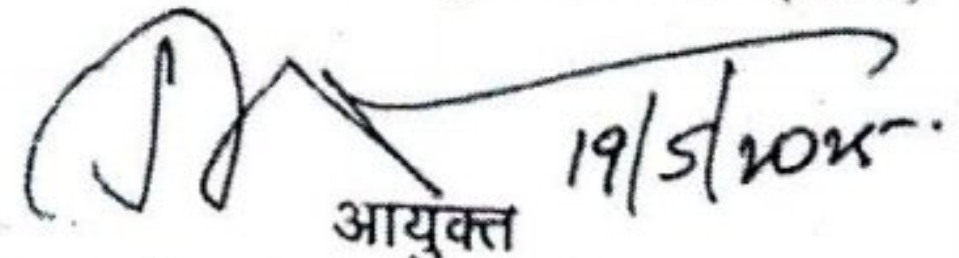
आवेदन का प्रकार	विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति तिथि	स्वीकृति एवं डिसबर्स		संभावित भुगतान तिथि
		शासकीय	अशासकीय	
नवीनीकरण	31 मई 2025 तक	07 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक	10 जून 2025
	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025
नवीन	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
	30 सितम्बर 2025 तक	07 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025

विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal एवं Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

1. छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है :-

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रु. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।
- PFMS के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि ऑनलाइन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें।
- वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR (One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलाकन किया जा सकता है।
- वर्ष 2025-26 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख (HoI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का biometric-authentication किया जाना अनिवार्य है।

उपस्थित
19/05/2025


आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छ0ग0

छत्तीसगढ़ पोस्ट-मैट्रिक 2025-26 छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक अहर्ताएं एवं शर्तें निम्न हैं:-

- विद्यार्थियों छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
- विद्यार्थियों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में से किसी एक वर्ग का हो।
- जारी आय प्रमाण पत्र 06 माह के भीतर का हो।
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 01 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।)
- विद्यार्थियों को पिछली परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए।
- विद्यार्थियों का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए।
- छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी के लिए महाविद्यालय के वेबसाइट <https://www.kgcollegeraigarh.ac.in/index.aspx> का निरंतर अवलोकन करते रहें।
- विद्यार्थियों को किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं लेना है अन्यथा आवेदनों को निरस्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


Principal
Kirodimal Govt. Arts & Science College
Raigarh (C.G.)